फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/39) **श्री गणेशलाल गाडरी बनाम तहसीलदार कपासन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री अजयसिंह हाडा - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 23/2021 निर्णय दिनांक 31.03.2022 (अनवान गणेशलाल गाडरी बनाम पटवारी सुरपुर)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 09.11.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 23/2021 निर्णय दिनांक 31.03.2022 (अनवान गणेशलाल गाडरी बनाम पटवारी सुरपुर) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की अपीलार्थी श्री गणेशलाल गाडरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) भू-राजस्व अधिनियम, धारा-39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 30(2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय मय एक रजिस्टर्ड वसीयत तहसीलदार, कपासन समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके नाम भूरा पिता परथा गाडरी निवासी सुरपुर ने दिनांक 09.07.2012 को रजिस्टर्ड वसीयत की थी तथा उनकी मृत्यु तक उसने उनकी सेवा चाकरी की है। दिनांक 24.11.2020 को श्री भेरा की मृत्यु हो गई है, इसलिए वह मृतक भूरा गाडरी की चल अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारिस है, उनके कोई जायन्दा वारिस नहीं है, इसलिए उसके नाम इन्तकाल खोलने का आदेश फरमाया जावें।

- तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.03.2022 से श्री भूरा द्वारा की गई वसीयत की सम्पत्ति पैतृक होने से व भूरा व भूरा की पत्नी कालीबाई लाऔलाद फौत होने से समस्त चल अचल सम्पत्ति भूरा के द्वितीय श्रेणी के वारिस की जांच कर उनके नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

उक्त निर्णय दिनांक 31.03.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 06.05.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 14.10.2022 को अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित, जिनकी बहस सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि श्री भूरा गाडरी एवं उनकी पत्नि श्रीमती कालीबाई ने अपीलार्थी को बाल अवस्था में ही सामाजिक रीति रिवाज से अपीलार्थी के प्राकृतिक माता पिता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/39) **श्री गणेशलाल गाडरी बनाम तहसीलदार कपासन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की सहमति से गोद लिया। तत्पश्चात दिनांक 09.07.2012 को श्री भूरा गाडरी द्वारा एक वसीयत नामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाते हुए अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति अपीलार्थी के नाम कर दी। तब से विवादित भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये, अधीनस्थ न्यायालय वसीयत के गवाहान के बयान लेखबद्ध किये, उजरदारी नोटिस सार्वजनिक पत्रिका में प्रकाशन किया जिसमें कोई उजरदारी प्रस्तुत नहीं हुई, फिर भी विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2022 पारित किया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.08.2021 के प्रथम भाग पर ही गौर किया गया, जबकि द्वितीय भाग जिसमें वसीयत अंतिम होकर अंतिम वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड होना अपीलार्थी के वसीयत कर्ता का गोदपुत्र होना व सभी दस्तावेज आईडी गणेश पिता भूरा के नाम होना प्रकट है, को दरकिनार कर दिया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2022 निरस्त फरमा मृतक भूरालाल पिता परथा गाडरी की कृषि भूमि अपीलार्थी के नाम माफिक वसीयतनामा दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी-1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि श्री गणेशलाल गाडरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) भू-राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इन्तकाल खोलने का अनुरोध किया। तहसीलदार, कपासन द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.03.2022 से श्री भूरा द्वारा की गई वसीयत की सम्पत्ति पैतृक होने से व भूरा व भूरा की पत्नी कालीबाई लाऔलाद फौत होने से समस्त चल अचल सम्पत्ति भूरा के द्वितीय श्रेणी के वारिस की जांच कर उनके नाम दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त निर्णय दिनांक 31.03.2022 से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.08.2021 में अंकित किया गया है कि **''वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गई जायदाद मौरूसी है''**। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक भूरा को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/39) **श्री गणेशलाल गाडरी बनाम तहसीलदार कपासन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है।

द्वितीय नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णीत किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अपीलार्थी को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई ठोस एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिसके कारण अपील स्वीकार की जा सके।

परिणामतः **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन का निर्णय दिनांक 31.03.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, कपासन को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर